

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

ਸਂ. 3664] No. 3664] नई दिल्ली, सोमवार, नवम्बर 11, 2019/शक 20, 1940

NEW DELHI, MONDAY, NOVEMBER 11, 2019/SAKA 20, 1940

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय अधिसूचना

नई दिल्ली. 8 नवम्बर. 2019

का0आ0 4077(अ).—प्रारुप अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण में भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 4776(अ), तारीख 10 सितम्बर, 2018, द्वारा प्रकाशित की गई थी जिसमें ऐसे सभी व्यक्तियों से, जिनकी उससे प्रभावित होने की संभावना थी, उस तारीख से, जिसको उक्त अधिसूचना को अन्तर्विष्ट करने वाले राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी गई थीं, साठ दिन की अवधि के भीतर आक्षेप और सुझाव आमंत्रित किए गए थे;

और, उक्त प्रारूप अधिसूचना को अन्तर्विष्ट करने वाले राजपत्र की प्रतियां जनता को तारीख 11 सितम्बर, 2018 को उपलब्ध करा दी गई थी;

और, प्रारुप अधिसूचना के उत्तर में व्यक्तियों और पणधारियों से कोई भी आक्षेप और सुझाव प्राप्त नहीं हुए;

और, तृष्णा वन्यजीव अभयारण्य को 194.708 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र के साथ त्रिपुरा सरकार की राजपत्र अधिसूचना सं.एफ.8 (58/)एफ ओ आर-डब्ल्यूएल/88/ वीओएल ॥/39253, द्वारा तारीख 18 नवम्बर,1988 को घोषित किया गया। अभयारण्य को भू-सर्वेक्षण भूखंडों के संदर्भ में और न कि बाहरी सीमाओं के संदर्भ में अधिसूचित किया गया था। कोर जोन में अभयारण्य में उपलब्ध सबसे अच्छा वन है और यह विशेष रूप से वन्यजीवों के लिए है और लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए नहीं है। कोर जोन का कुल क्षेत्रफल लगभग 50 वर्ग किलोमीटर होगा जिसमें से 31.63 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को बिसोन राष्ट्रीय उद्यान के रूप में सं.एफ.8 (196)/ एफओआर-डब्ल्यूएल/204/एनपी/वी-2/5503, तारीख 9 जून, 2009 द्वारा अधिसूचित किया गया जिसका एकमात्र उद्शेय क्रियाकलापों को नियंत्रित करना और संरक्षित क्षेत्र में भंगुर पारिस्थितिकी प्रणाली पर ऐसे क्रियाकलापों के नकारात्मक प्रभाव को कम करना है;

5846 GI/2019 (1)

- और, अभयारण्य के चारों ओर जोन को शामिल करना उचित होगा जिसमें वनस्पित और जीवजंतु विविधता विद्यमान है और यह भी स्पष्ट है कि अभयारण्य के तीनों तरफ से भारत–बांग्लादेश सीमा से घिरा हुआ है और अभयारण्य के समीप विद्यमान वास है;
- और, तृष्णा वन्यजीव अभयारण्य में वनस्पित और जीवजंतु जैव-विविधता की समृद्धि के कारण इसका रूपात्मक महत्व है। इस क्षेत्र में प्रमुख प्रजातियों की एक जीवक्षम संख्या है, जैसे गौर, प्राइमेट्स लाइक, हुल्लाक गिब्बन, स्पेक्टेकल बंदर कुल छह प्रजातियों में शानदार बंदर, बड़ी संख्या में जीवजंतु, जो अभयारण्य के उच्च वर्षा वन पारिस्थितिकी तंत्र के भाग से हैं और आमतौर पर स्थानीय रूप से या राज्य या देश के स्तर पर लुप्तप्राय होते हैं। अभयारण्य के पारिस्थितिकी कार्य में लाभप्रद मृदा और जल व्यवस्था को बनाए रखने में भी शामिल किया है, जिससे इस क्षेत्र में कृषि और मत्स्य पालन आदि में अधिकतम उत्पादन सुनिश्चित किया जा सकेगा। क्षेत्र में पारिस्थितिकी पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए उच्च क्षमता है;
- और, अभयारण्य में जंगली भैंसों की संख्या की अच्छी संख्या है और यह राज्य में इस तरह की संख्या वाला एकमात्र अभयारण्य है। इसके अलावा, यह अभयारण्य अनुसूचित प्रजातियों से संबंधित छ: प्राइमेट प्रजातियों को भी आश्रय प्रदान करता है। अभयारण्य सरीसृपों की अन्य महत्त्वपूर्ण प्रजातियों की संख्या को पूरा करता है और यह प्रवासी पक्षियों के लिए भी अद्वितीय स्थान है। त्रिपुरा विश्वविद्यालय के वनस्पित-विज्ञान विभाग द्वारा वनस्पित की खोज में एक शोध किया गया था और इसके निष्कर्षों के अनुसार यहां 400 प्रजातियों हैं। इनमें से 160 प्रजातियों का उपयोग औषधीय रूप में किया जाता है, 140 प्रजातियों का उपयोग इमारती लकड़ी के लिए किया जाता है, 30 प्रजातियों का उपयोग टैनिन और डाई उपज के रूप में, 20 प्रजातियों का फल के लिए, 17 प्रजातियों का सजावटी और हैं, 15 प्रजातियों का उपयोग चारे के रूप में किया जाता है, 10 प्रजातियों मसालेदार और मसालों के लिए हैं, तृष्णा वन्यजीव अभयारण्य भी एक दुर्लभ जिमनोस्पर्म, जनेरम मोनाटेनम को सम्पोषित करता है;
- और, वन्यजीव की गणना वर्ष 2010 में 18 से 20 फरवरी के दौरान की गई थी। कुल 86 मुख्य प्रजातियों की संख्या अभिलिखित की गई है जिसमें मुंजक, मिलन तेंदुआ, बनबिलार, पिगेटेड लंगूर, स्पेक्ट्रल बंदर, लजीला वानर, क्रैब ईटिंग नेवला, सांप ईगल, कठफोड़वा, जंगली मैना, रेड वेंट बुलबुल, स्पेक्ट्रल कोबरा, ग्रे बगुला, ग्रेट बगुला, फेयरी ब्लू बर्ड आदि शामिल हैं;
- और, तृष्णा वन्यजीव अभयारण्य के चारों ओर के क्षेत्र को, जिसका विस्तार और सीमाएं पारिस्थितिकी पर्यावरणीय से पारिस्थितिकी संवेदी जोन के रूप में पैरा 1 में विनिर्दिष्ट हैं, जैव विविधिता की दृष्टि सुरक्षित और संरक्षित करना और उक्त पारिस्थितिकी संवेदी जोन में उद्योगों या उद्योगों के वर्गों के प्रचालन और प्रसंस्करण करने को प्रतिषिद्ध करना आवश्यक है;
- अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) (जिसे इसके पश्चात इस अधिसूचना में पर्यावरण अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, त्रिपुरा राज्य के दक्षिण त्रिपुरा जिला में तृष्णा वन्यजीव अभयारण्य की सीमा के चारों ओर 0 (शून्य) से 500 मीटर तक विस्तारित क्षेत्र को पारिस्थितिकी संवेदी जोन (जिसे इसके पश्चात् इस अधिसूचना में पारिस्थितिकी संवेदी जोन कहा गया है), के रूप में अधिसूचित करती है, जिसके विवरण निम्नानुसार है, अर्थात् :-
- 1. पारिस्थितिकी संवेदी जोन का विस्तार और उसकी सीमाएं.-(1) पारिस्थितिकी संवेदी जोन का विस्तार तृष्णा वन्यजीव अभयारण्य की सीमा के चारों ओर 0 (शून्य) से 500 मीटर तक फैला हुआ है और पारिस्थितिकी संवेदी जोन का क्षेत्रफल 91.83 वर्ग किलोमीटर है। (इंडो-बांग्लादेश अंतर्राष्ट्रीय सीमा के कारण पारिस्थितिकी संवेदी जोन का विस्तार शून्य हैं।).
- (2) तृष्णा वन्यजीव अभयारण्य तथा इसके पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा का विवरण **उपाबंध ।** के रूप में उपाबद्ध है।

- (3) सीमा विवरण और अक्षांश और देशांतर के साथ पारिस्थितिकी संवेदी जोन के तृष्णा वन्यजीव अभयारण्य के मानचित्र **उपाबंध–॥क** और **उपाबंध–॥ख** के रूप में उपाबद्ध है।
- (4) पारिस्थितिकी संवेदी जोन और तृष्णा वन्यजीव अभयारण्य की सीमा के भू निर्देशांकों की सूची **उपाबंध III** की सारणी **क** और सारणी **ख** में दी गई है।
- (5) मुख्य बिंदुओं के भू-निर्देशांकों के साथ पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाले ग्रामों की सूची **उपाबंध IV** के रूप में उपाबद्ध है।
- 2. पारिस्थितिकी संवेदी जोन के लिए आंचलिक महायोजना— (1) राज्य सरकार, पारिस्थितिकी संवेदी जोन के प्रयोजनों के लिए राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष की अविध के भीतर, स्थानीय व्यक्तियों के परामर्श से और राज्य के सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के लिए इस अधिसूचना में दिए गए अनुबंधों का पालन करते हुए आंचलिक महायोजना तैयार करेगी।
- (2) राज्य सरकार द्वारा पारिस्थितिकी संवेदी जोन के लिए आचंलिक महायोजना ऐसी रीति से जो इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किए गए हैं के अनुसार तथा सुसंगत केंद्रीय और राज्य विधियों के अनुरुप और केंद्रीय सरकार द्वारा जारी मार्गनिर्देशों, यदि कोई हों, द्वारा तैयार होगी।
- (3) आंचलिक महायोजना, उक्त योजना में पारिस्थितिकी और पर्यावरणीय बातों को समाकलित करने के लिए राज्य सरकार के निम्नलिखित विभागों के परामर्श से तैयार होगी, अर्थात्:-
 - (i) पर्यावरण;
 - (ii) वन और वन्यजीव;
 - (iii) कृषि;
 - (iv) राजस्व:
 - (v) नगर विकास;
 - (vi) पर्यटन;
 - (vii) ग्रामीण विकास:
 - (viii) सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण:
 - (ix) नगरपालिका;
 - (x) पंचायती राज;
 - (xi) लोक निर्माण विभाग;
 - (xii) राजमार्ग; और
 - (xiii) त्रिपुरा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड।
- (4) आंचलिक महायोजना अनुमोदित विद्यमान भू-उपयोग, अवसंरचना और क्रियाकलापों पर कोई निर्वंधन अधिरोपित नहीं करेगी जब तक कि इस अधिसूचना में इस प्रकार विनिर्दिष्ट न हो और आचंलिक महायोजना सभी अवसंरचना और क्रियाकलापों में जो अधिक दक्षता और पारिस्थितिकी अनुकुल हों का संवर्धन करेगी।

- (5) आंचलिक महायोजना में अनाच्छादित क्षेत्रों के जीर्णोद्धार, विद्यमान जल निकायों के संरक्षण, आवाह क्षेत्रों के प्रबंधन, जल-संभरों के प्रबंधन, जल संभर प्रबंधन, मृदा और नमी संरक्षण, स्थानीय समुदायों की आवश्यकताओं तथा पारिस्थितिकी और पर्यावरण से संबंधित ऐसे अन्य पहलुओं, जिन पर ध्यान देना आवश्यक है, के लिए उपबंध होंगे।
- (6) आंचलिक महायोजना विद्यमान और प्रस्तावित भूमि उपयोग विशेषताओं के ब्यौरों से अनुसमर्थित मानचित्र के साथ सभी विद्यमान पूजा स्थलों, ग्रामों और नगरीय बस्तियों, वनों के प्रकार और किस्मों, कृषि क्षेत्रों, ऊपजाऊ भूमि, हरित क्षेत्र जैसे उद्यान और उसी प्रकार के स्थान, उद्यान कृषि क्षेत्र, फलोउद्यान, झीलों और अन्य जल निकायों का अभ्यकंन करेगी।
- (7) आंचलिक महायोजना पारिस्थितिकी संवेदी जोन में विकास को विनियमित करेगी और सारणी में सूचीबद्ध पैरा-4 में प्रतिषिद्ध और विनियमित क्रियाकलापों का अनुपालन करेगी और स्थानीय समुदायों की जीविका को सुरक्षित करने के लिए पारिस्थितिकी अनुकूल विकास को सुनिश्चित और उसकी अभिवृद्धि भी करेगी।
- (8) आंचलिक महायोजना प्रादेशिक विकास योजना की सह-विस्तारी होगी।
- (9) इस प्रकार अनुमोदित आंचलिक महायोजना इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुसार मानीटरी के अपने कार्यों को करने के लिए मानीटर समिति के लिए एक संदर्भ दस्तावेज तैयार करेगी।
- 3. **राज्य सरकार द्वारा किए जाने वाले उपाय.-** राज्य सरकार इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए निम्नलिखित उपाय करेगी, अर्थात:-
- (1) **भू-उपयोग.** (क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में वनों, उद्यान कृषि क्षेत्रों, कृषि क्षेत्रों, मनोरंजन के प्रयोजनों के लिए चिन्हित किए गए पार्कों और खुले स्थानों का वाणिज्यिक या आवासीय या औद्योगिक संबद्ध विकास क्रियाकलापों के लिए उपयोग या संपरिवर्तन नहीं होगा:

परंतु यह कि पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर भाग (क) में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों से भिन्न प्रयोजन के लिए कृषि और अन्य भूमि का संपरिवर्तन मानीटरी समिति की सिफारिश पर और यथा लागू और क्षेत्रीय नगर योजना अधिनियम और केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के अन्य नियमों तथा विनियमों के अधीन सक्षम प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन से, और इस अधिसूचना के उपबंधों द्वारा स्थानीय निवासियों की निम्नलिखित आवासीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा, जैसे:-

- (i) विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना और उन्हें सुदृढ़ करना तथा नई सड़कों का संनिर्माण;
- (ii) बुनियादी ढांचों और नागरिक सुविधाओं का संनिर्माण और नवीकरण;
- (iii) प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग;
- (iv) कुटीर उद्योगों जिनके अंतर्गत ग्रामीण उद्योग भी हैं; सुविधाजनक भण्डार और स्थानीय सुविधाएं सहायक पारिस्थितिकी पर्यटन जिसके अन्तर्गत ग्रह वास सम्मिलित है; और
- (v) पैरा 4 के अधीन दिए गए संवर्धित क्रियाकलाप:

परंतु यह और कि प्रादेशिक नगर योजना अधिनियम और राज्य सरकार के अन्य नियमों और विनियमों के अधीन सक्षम प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन और संविधान के अनुच्छेद 244 के उपबंधों या तत्समय प्रवृत्त विधि के उपबंधों के अनुपालन के बिना, जिसके अन्तर्गत अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (2007 का 2) भी है, वाणिज्यिक या औद्योगिक विकास क्रियाकलापों के लिए जनजातीय भूमि का उपयोग अनुज्ञात नहीं होगा:

परंतु यह और भी कि पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर भू-अभिलेखों में उपसंजात कोई गलती, मानीटरी समिति के विचार प्राप्त करने के पश्चात् राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक मामले में एक बार ठीक होगी और उक्त गलती के सुधार की सूचना केंद्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को दी जाएगी:

परंतु यह और भी कि गलती के संशोधन में इस उप पैरा के अधीन यथा उपबंधित के सिवाय किसी भी दशा में भू-उपयोग का परिवर्तन सम्मिलित नहीं होगा;

- (ख) वनीकरण और वास जीर्णोद्धार क्रियाकलापों सहित अनप्रयुक्त या अनुत्पादक कृषि क्षेत्रों में पुन: वनीकरण करने के प्रयास किए जाएंगे।
- (2) **प्राकृतिक जल स्रोतों.** आंचलिक महायोजना में सभी प्राकृतिक जल स्रोतों निदयों और जलमार्गों के आवाह क्षेत्रों की पहचान की जाएगी और उनके संरक्षण और नवीकरण के लिए योजना सिम्मिलित होगी और राज्य सरकार द्वारा ऐसे क्षेत्रों पर या उनके निकट विकास क्रियाकलाप प्रतिषिद्ध करने के बारे में जो ऐसे क्षेत्रों के लिए अहितकर हो ऐसी रीति से मार्गदर्शक सिद्धांत तैयार किए जाएंगे।
- (3) **पर्यटन या पारिस्थितिकी पर्यटन.-** (क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर सभी नए पारिस्थितिकी पर्यटन क्रियाकलाप या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार पर्यटन महायोजना के अनुसार पारिस्थितिकी संवेदी जोन के लिए होगा।
- (ख) पर्यटन महायोजना राज्य पर्यटन विभाग द्वारा राज्य पर्यावरण और वन विभाग के परामर्श से तैयार होगी।
- (ग) पर्यटन महायोजना आंचलिक महायोजना के एक घटक के रूप में होगी।
- (घ) पर्यटन महायोजना पारिस्थितिकी संवेदी जोन की वहन क्षमता के आधार पर तैयार की जाएगी।
- (ङ) पारिस्थितिकी पर्यटन संबंधी क्रियाकलाप निम्नानुसार विनियमित होंगे:-
- (i) संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन के विस्तार तक, इनमें जो भी निकट है, नये वाणिज्यिक होटल और सैरगाह के सन्निर्माण अनुज्ञात नहीं होंगे:

परंतु, यह कि संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर की दूरी से परे पारिस्थितिकी संवेदी जोन के विस्तार तक होटलों और रिजॉर्ट का स्थापना केवल पूर्व परिभाषित और नामनिर्दिष्ट क्षेत्रों में पर्यटन महायोजना के अनुसार पारिस्थितिकी पर्यटन सुविधाओं के लिए ही अनुज्ञात होगा;

- (ii) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर नए पर्यटन क्रियाकलापों या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार केंद्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के मार्गदर्शक सिद्धांतों के द्वारा तथा राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण, द्वारा जारी पारिस्थितिकी-पर्यटन, पारिस्थितिकी-शिक्षा और पारिस्थितिकी-विकास पर बल देते हुए (समय-समय पर यथा संशोधित) जारी मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार होगा;
- (iii) आंचिलक महायोजना का अनुमोदन किए जाने तक, पर्यटन के लिए विकास और विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों के विस्तार को वास्तविक स्थल विनिर्दिष्ट संवीक्षा और मानीटरी समिति की सिफारिश पर आधारित संबंधित विनियामक प्राधिकरणों द्वारा अनुज्ञात किया जाएगा और पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर किसी नये होटल या रिसोर्ट या वाणिज्यिक स्थापना का संनिर्माण अनुज्ञात नहीं किया जायेगा।
- (4) **नैसर्गिक विरासत.-** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में महत्वपूर्ण नैसर्गिक विरासत के सभी स्थलों जैसे जीन कोश आरक्षित क्षेत्र, शैल विरचनाएं, जल प्रपातों, झरनों, घाटी मार्गों, उपवनों, गुफाएं, स्थलों, भ्रमण, अश्वरोहण, प्रपातों आदि की पहचान की जाएगी और विरासत संरक्षण योजना आंचलिक महायोजना के भाग के रुप में परिरक्षण और संरक्षण के लिए तैयार की जाएगी।

- (5) **मानव निर्मित विरासत स्थल.-** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में भवनों, संरचनाओं, शिल्प-तथ्य, ऐतिहासिक, स्थापत्य, सौंदर्यपूरक और सांस्कृतिक महत्व के क्षेत्रों की और उपक्षेत्रों की पहचान और उनके संरक्षण के लिए विरासत योजना आंचलिक महायोजना के भाग के रुप में तैयार की जाएगी।
- (6) **ध्विन प्रदूषण**.- पर्यावरण अधिनियम के अधीन ध्विन प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम, 2000 में नियत उपबंधों के अनुसार पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ध्विन प्रदूषण के नियंत्रण और निवारण का अनुपालन किया जाएगा।
- (7) **वायु प्रदूषण.** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में, वायु प्रदूषण के निवारण और नियंत्रण का वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार अनुपालन किया जाएगा।
- (8) **बहिस्नाव का निस्सारण.** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में उपचारित बहिस्राव का निस्सारण, साधारण मानकों के उपबंधों के अनुसार पर्यावरणीय अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन आने वाले पर्यावरणीय प्रदूषण के निस्सारण के लिए साधारण मानकों या राज्य सरकार द्वारा नियत मानकों, जो भी अधिक कठोर हो, के उपबंधों के अनुसार होगा।
- (9) ठोस अपशिष्ट.- ठोस अपशिष्ट का निपटान और प्रबंधन निम्नानुसार किया जाएगा:-
- (क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ठोस अपशिष्ट का निपटान और प्रबंधन भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1357(अ), तारीख 8 अप्रैल, 2016 द्वारा प्रकाशित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016, के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा। अकार्बनिक पदार्थों का निपटान पारिस्थितिकी संवेदी जोन से बाहर चिन्हित किए गए स्थानों पर पर्यावरण-अनुकूल रीति से किया जाएगा;
- (ख) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में मान्य प्रौद्योगिकियों)ईएसएम (का उपयोग करते हुए विद्यमान नियमों और विनियमों के अनुरूप ठोस अपशिष्ट का सुरक्षित और पर्यावरण-अनुकूल प्रबंधन अनुज्ञात किया जा सकेगा।
- (10) **जैव चिकित्सा अपशिष्ट.** जैव चिकित्सा अपशिष्ट का प्रबंधन निम्नानुसार किया जाएगा:-
- (क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में जैव चिकित्सा अपशिष्ट का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना सं.सा.का.िन 343 (अ), तारीख 28 मार्च, 2016, द्वारा प्रकाशित जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।
- (ख) पारिस्थितिकी संवदी जोन में मान्य प्रौद्योगिकियों का उपयोग करते हुए विद्यमान नियमों और विनियमों के अनुरूप जैव-चिकित्सा अपशिष्ट का सुरक्षित और पर्यावरण-अनुकूल प्रबंधन अनुज्ञात किया जा सकेगा।
- (11) **प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन.-** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथासंशोधित अधिसूचना सं.सा.का.नि 340(अ), तारीख 18 मार्च, 2016, द्वारा प्रकाशित प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।
- (12) **निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन.-** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में संनिर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथासंशोधित अधिसूचना सं.सां.का.नि 317(अ), तारीख 29 मार्च, 2016, द्वारा प्रकाशित संनिर्माण और विध्वंस प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।
- (13) **ई–अपशिष्ट.-** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ई–अपशिष्ट प्रबंधन का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा, समय-समय पर यथासंशोधित, प्रकाशित ई–अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016, के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।
- (14) **यानीय यातायात.** यातायात की यानीय गतिविधियां आवास के अनुकूल विनियमित होंगी और इस संबंध में आंचलिक महायोजना में विशेष उपबंध सम्मिलित किए जाएंगे और आंचलिक महायोजना के तैयार होने और राज्य सरकार के सक्षम

प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित होने तक, मानीटरी समिति सुसंगत अधिनियमों और उसके अधीन बनाए गए नियमों और विनियमों के अनुसार यानीय क्रियाकलापों के अनुपालन को मानीटर करेगी ।

- (15) **यानीय प्रदूषण.-** लागू विधियों के अनुपालन में यानीय प्रदूषण का निवारण और नियंत्रण किया जाएगा और स्वच्छक ईंधन के उपयोग के लिए प्रयास किए जाएंगे।
- (16) **औद्योगिक ईकाइयां.-** (i) राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन पर या उसके पश्चात पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर किसी नए प्रदूषण करने वाले उद्योगों की स्थापना अनुज्ञात नहीं की जाएंगी।
 - (ii) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा फरवरी, 2016 में जारी मार्गदर्शक सिद्धान्तों में उद्योगों के वर्गीकरण के अनुसार, जब तक कि अधिसूचना में इस प्रकार विनिर्दिष्ट न हो; पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर केवल गैर- प्रदूषणकारी उद्योगों को अनुज्ञात किया जाएगा और इसके अतिरिक्त, गैर प्रदूषणकारी उद्योगों को बढ़ावा दिया जाएगा।
- (17) **पहाड़ी ढलानों को संरक्षण.-** पहाड़ी ढलानों का संरक्षण निम्नानुसार होगा:-
- (क) आंचलिक महायोजना पहाड़ी ढलानों पर क्षेत्रों का संकेत होगा जहां किसी भी संनिर्माण की अनुमति नहीं दी जाएगी;
- (ख) कटाव के एक उच्च डिग्री के साथ विद्यमान खड़ी पहाड़ी ढलानों या ढलानों पर किसी भी संनिर्माण की अनुमति नहीं दी जाएगी।
- 4. पारिस्थितिकी संवेदी जोन में प्रतिषिद्ध और विनियमित किए जाने वाले क्रियाकलापों की सूची.- पारिस्थितिकी संवेदी जोन में सभी क्रियाकलाप पर्यावरण अधिनियम के उपबंधों और उसके अधीन बनाए गए नियमों जिसके अन्तर्गत तटीय विनियमन जोन अधिसूचना 2011 और पर्यावरणीय समाघात निर्धारण अधिसूचना, 2006 और अन्य लागू विधियां के जिसमें वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 (1980 का 69), भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का 16), वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (1972 का 53) सम्मिलित हैं और किये गये संशोधनों द्वारा शासित होंगे और नीचे दी गई सारणी में विनिर्दिष्ट रीति में विनियमित होंगे, अर्थात्:-

सारणी

क्रम सं.	क्रियाकलाप	वर्णन
(1)	(2)	(3)
	क.	प्रतिषिद्ध क्रियाकलाप
1.	वाणिज्यिक खनन, पत्थर उत्खनन और अपघर्षण इकाईयां ।	(क) सभी प्रकार के नए और विद्यमान खनन (लघु और वृहत खनिज), पत्थर की खानें और उनकों तोड़ने की इकाइयां वास्तविक स्थानीय निवासियों की घरेलू आवश्यकताओं जिसमें निजी उपयोग के लिए मकानों के संनिर्माण या मरम्मत के लिए धरती को खोदना और मकान बनाने के लिए देशी टाइल्स या ईंटों का निर्माण करना भी सम्मिलित है, के सिवाय नहीं होगी। (ख) खनन प्रचालन, माननीय उच्चतम न्यायालय की रिट याचिका (सिविल) सं. 1995 का 202 टी.एन. गौडाबर्मन थिरुमूलपाद बनाम भारत संघ के मामले में आदेश तारीख 4 अगस्त, 2006 और रिट याचिका (सी) सं. 2012 का 435 गोवा फाउंडेशन बनाम भारत संघ के मामले में तारीख 21 अप्रैल, 2014 के आदेश के अनुसरण में प्रचालित होंगी।
2.	नई आरा मिलों की स्थापना।	पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर नई और विद्यमान आरा मिलों का विस्तार अनुज्ञात नहीं होगा ।
3.	प्रदूषण (जल, वायु, मृदा, ध्विन आदि) उत्पन करने वाले उद्योगों की स्थापना।	पारिस्थितिकी संवेदी जोन में कोई नया उद्योग लगाने और वर्तमान प्रदूषणकारी उद्योगों का विस्तार करने की अनुज्ञा नहीं होगी:

		परन्तु केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा फरवरी, 2016 में जारी मार्ग दर्शक सिद्धान्तों में उद्योगों के वर्गीकरण के अनुसार जब तक कि अधिसूचना में ऐसा विनिर्दिष्ट न हों, पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर गैर-प्रदूषणकारी उद्योगों को अनुज्ञात किया जाएगा और इसके अतिरिक्त गैर-प्रदूषणकारी कुटीर उद्यागों को बढ़ावा दिया जाएगा।
4.	बृहत जल विद्युत परियोजना की स्थापना ।	ा लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे ।
5.	किसी परिसंकटमय पदार्थों का उपयोग या उत्पादन या प्रसंस्करण।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे ।
6.	प्राकृतिक जल निकायों या क्षेत्र भूमि में अनुपचारित बहिर्स्नाव का निस्सारण।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे ।
7.	ईंट भट्टों की स्थापना करना।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे।
	<u>"</u> ख. वि	वेनियमित क्रियाकलाप
8.	वाणिज्यिक होटलों और रिसोर्टों की स्थापना ।	पारिस्थितिकी पर्यटन क्रियाकलापों के लिए लघु अस्थायी संरचनाओं के सिवाय संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन के विस्तार तक, इनमें जो भी निकट है, नए वाणिज्यिक होटल और रिसोर्टों को अनुज्ञात नहीं किया जाएगा: परंतु संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के परे या पारिस्थितिकी संवेदी जोन के विस्तार तक इनमें से जो भी निकट हो सभी नए पर्यटन क्रियाकलाप या विद्यमान क्रियाकलाप का विस्तार पर्यटन महायोजना और यथा लागू मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुरुप होगा।
9.	संनिर्माण क्रियाकलाप ।	(क) संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन के विस्तार तक, इनमें जो भी निकट हो, किसी भी प्रकार के नये वाणिज्यिक संनिर्माण की अनुज्ञा नहीं होगी:
		परंतु स्थानीय लोगों को अपनी आवास सम्बन्धी निम्नलिखित आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, पैराग्राफ 3 के उप पैराग्राफ (1) में सूचीबद्ध क्रियाकलापों सहित अपने प्रयोग के लिए, अपनी भूमि में भवन उप-विधियों
		के अनुसार, संनिर्माण करने की अनुज्ञा होगी, जैसे:- परंतु यह कि गैर–प्रदूषणकारी लघु उद्योगों से संबंधित संनिर्माण
		क्रियाकलाप लागू नियमों और विनियमों, यदि कोई हों, के अनुसार सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति से विनियमित किए जाएंगे और वे न्यूनतम होंगे।
		(ख) एक किलोमीटर क्षेत्र से परे ये आंचलिक महायोजना के अनुसार विनियमित होंगे।
10.	वृक्षों की कटाई ।	(क) राज्य सरकार में सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमित के बिना वन, सरकारी या राजस्व या निजी भूमि पर या वनों में वृक्षों की कटाई नहीं होगी।
		(ख) वृक्षों की कटाई संबंधित केंद्रीय या राज्य अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंध के अनुसार विनियमित होगे।
11.	प्राकृतिक जल निकायों या सतही क्षेत्र में उपचारित बहिर्स्नाव का निस्तारण।	जल निकायों में उपचारित अपशिष्ट जल या बिहर्स्नाव के निस्सारण से बचा जाएगा और उपचारित अपशिष्ट जल के पुन:चक्रण और पुन:उपयोग के लिए प्रयास किए जाएंगे, अन्यथा लागू विधियों के अनुसार उपचारित बिहर्स्नाव के पुनर्चक्रण या प्रवाह के निर्वहन को विनियमित किया जाएगा।
12.	जलावन लकड़ी का वाणिज्यिक उपयोग।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।

		0.0 % 0.0 0.0 %
13.	कृषि प्रणालियों में आमूल परिवर्तन।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
14.	विदेशी प्रजातियों को लाना ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
15.	सतह और भूजल का वाणिज्यिक निष्कर्षण ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
16.	विद्युत और संचार टावरों का परिनिर्माण	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे। (भूमिगत केबल के बिछाए जाने
	और केबलों के बिछाए जाने और अन्य बुनियादी ढांचे ।	को बढ़ावा दिया जाएगा)।
17.	होटलों और लॉज के विद्यमान परिसरों में बाड लगाना।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
18.	पोलिथीन थैलों का प्रयोग ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
19.	विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना और उन्हें सुदृढ़ करना तथा नवीन सड़कों का संनिर्माण।	न्यूनीकरण उपायों को लागू विधियों, नियमों और विनियमनों तथा उपलब्ध मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार किया जाना ।
20.	पहाड़ी ढालों और नदी तटों का संरक्षण।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
21.	वाणिज्यिक साइनबोर्ड और होर्डिंग ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
22.	प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग ।	फरवरी, 2016 में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी उद्योगों में वर्गीकरण के अनुसार गैर-प्रदूषणकारी उद्योग और अपरिसंकटमय में, लघु और सेवा उद्योग, कृषि, पुष्प कृषि, उद्यान कृषि या पारिस्थितिकी संवेदी जोन से देशी सामग्री से उत्पादों को उत्पन्न करने वाले कृषि आधारित उद्योग सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुज्ञात होंगे।
23.	वन उत्पादों या गैर काष्ठ वन उत्पादों का संग्रहण।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित होंगे ।
24.	नागरिक सुख सुविधाओं सहित अवसंरचनाएं।	न्यूनीकरण उपायों को लागू विधियों, नियमों और विनियमनों और उपलब्ध मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार किया जाना ।
25.	रात्रि में यानिक यातायात का संचलन ।	लागू विधियों के अधीन वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए विनियमित होंगे।
26.	स्थानीय समुदायों द्वारा चल रही कृषि और बागवानी प्रथाओं के साथ दुधशाला, दुग्घ उद्योग, कृषि और मछली पालन।	स्थानीय लोगों के उपयोग के लिए लागू विधियों के अधीन अनुज्ञात होंगे ।
27.	फर्मों, कंपनियों द्वारा बड़े पैमाने पर वाणिज्यिक पशुओं और पोल्ट्री फार्मों की स्थापना।	स्थानीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए लागू विधियों के अधीन विनियमित (अन्यथा प्रदान किए गए) होंगे।
28.	ठोस अपशिष्ट एवं प्रबन्धन।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
29.	पारिस्थितिकी-पर्यटन	लागू विधियों के अनुसार विनियमित होंगे ।
30.	वायु, और ध्वनि प्रदूषण।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
31.	पर्यटन से संबंधित अन्य क्रियाकलाप जैसे गर्म वायु गुब्बारें, हेलीकाप्टर, ड्रोन, माइक्रोलाइटस आदि द्वारा पारिस्थितिकी संवेदी जोन क्षेत्र के ऊपर से उड़ना जैसे क्रियाकलाप करना।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित होंगे ।
		संवर्धित क्रियाकलाप
32.	वर्षा जल संचयन।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
33.	जैविक खेती।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
34.	नवीकरणीय ऊर्जा और ईंधन का उपयोग।	बायोगैस, सौर प्रकाश इत्यादि को बढ़ावा दिया जाना है।
35.	सभी गतिविधियों के लिए हरित प्रौद्योगिकी को ग्रहण करना ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।

36.	कुटीर उद्योगों जिसके अंतर्गत ग्रामीण कारीगर	सक्रिय रूप से बढावा दिया जाएगा ।
30.	9	
	भी हैं।	
37.	कृषि वानिकी ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
37.	_ c	,
	बागान लगाना और जड़ी बूटियों का रोपण ।	
38.	बागान लगाना आर जड़ा बूाटया का रापण	साक्रय रूप स बढ़ावा ।दया जाएगा ।
39.	पारिस्थितिकी अनुकूल परिवहन का	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
00.	= 41	,
	उपयोग ।	
40.	कौशल विकास ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
40.		,
41.	निम्नीकृत भूमि/ वन / वास की बहाली ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
	2 1:	·
42.	पर्यावरणीय जागरुकता ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

5. पारिस्थितिकी संवेदी जोन की अधिसूचना की मानीटरी के लिए मानीटरी सिमिति- केंद्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 3 की उपधारा (3) के अधीन इस अधिसूचना के उपबंधों की प्रभावी मानीटरी के लिए मानीटरी सिमिति का गठन करती है, जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी, अर्थात्:-

क्र.सं.	मानीटरी समिति का संघटक	पदनाम
(i)	माननीय सभापति, दक्षिण त्रिपुरा जिला परिषद, उदयपुर	अध्यक्ष,पदेन;
(ii)	राज्य सरकार द्वारा नामित किए जाने वाले वन्यजीव संरक्षण के क्षेत्र में काम करने वाले गैर-सरकारी संगठन का प्रतिनिधि	सदस्य;
(iii)	राज्य सरकार द्वारा नामित जैव विविधता में एक विशेषज्ञ	सदस्य;
(iv)	पारिस्थितिकी और पर्यावरण में एक विशेषज्ञ राज्य सरकार द्वारा नामित किया जाएगा	सदस्य;
(v)	राज्य लोक निर्माण विभाग का एक प्रतिनिधि	सदस्य;
(vi)	राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का एक प्रतिनिधि	सदस्य;
(vii)	वन्यजीव वार्डन, तृष्णा वन्यजीव अभयारण्य	सदस्य सचिव।

- 6. निर्देश-निबंधन:- (1) मानीटरी समिति इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुपालन को मानीटर करेगी।
- (2) मानीटरी समिति का कार्यकाल तीन वर्ष तक या राज्य सरकार द्वारा नई समिति के पुन: गठन तक के लिए होगा और तत्पश्चात मानीटरी समिति राज्य सरकार द्वारा गठित की जाएगी।
- (3) ऐसे क्रियाकलापों की, जो भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1533 (अ), तारीख 14 सितम्बर, 2006 की अनुसूची में सम्मिलित हैं, और जो पारिस्थितिकी संवेदी जोन में आते हैं, सिवाय इसके जो पैरा 4 के अधीन सारणी में यथा विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध क्रियाकलापों के, मानीटरी समिति द्वारा वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं के आधार पर संवीक्षा की जाएगी और उक्त अधिसूचना के उपबंधों के अधीन पूर्व पर्यावरण अनापत्ति के लिए केद्रींय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवाय परिवर्तन मंत्रालय को निर्दिष्ट किया जाएगा।

- (4) इस अधिसूचना के पैरा 4 के अधीन सारणी में यथा विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध क्रियाकलापों के सिवाय, भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1533(अ), तारीख 14 सितंबर, 2006 की अधिसूचना के अनुसूची के अधीन ऐसे अनुसूची में क्रियाकलापों, जिन्हें सम्मिलित नहीं किया गया है, परंतु पारिस्थितिकी संवेदी जोन में आते हैं, ऐसे क्रियाकलापों की वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं पर आधारित निगरानी समिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी और उसे संबद्ध विनियामक प्राधिकरणों को निर्दिष्ट किया जाएगा।
- (5) मानीटरी समिति का सदस्य-सचिव या संबद्ध उपायुक्त ऐसे व्यक्ति के विरूद्ध, जो इस अधिसूचना के किसी उपबंध का उल्लंघन करता है, पर्यावरण अधिनियम, की धारा 19 के अधीन परिवाद फाइल करने के लिए सक्षम होगा।
- (6) मानीटरी समिति मुद्दा दर मुद्दा के आधार पर अपेक्षाओं पर निर्भर रहते हुए संबद्ध विभागों के प्रतिनिधियों या विशेषज्ञों, औद्योगिक संगमों या संबद्ध पणधारियों के प्रतिनिधियों को अपने विचार-विमर्श में सहायता के लिए आमंत्रित कर सकेगी।
- (7) मानीटरी समिति प्रत्येक वर्ष की 31 मार्च तक के अपने क्रियाकलापों की वार्षिक कार्रवाई रिपोर्ट राज्य के मुख्य वन्यजीव वार्डन को **उपाबंध ∨** के अनुसार प्रोफार्मा उक्त वर्ष के 30 जून तक प्रस्तुत करेगी ।
- (8) केन्द्रीय सरकार का पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय मानीटरी समिति को अपने कृत्यों के प्रभावी निर्वहन के लिए समय-समय पर ऐसे निर्देश दे सकेगा, जो वह ठीक समझे ।
- 7. इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभाव देने के लिए केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार अतिरिक्त उपाय, यदि कोई हों, विनिर्दिष्ट कर सकेंगी।
- **8.** इस अधिसूचना के उपबंध, भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय या राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पारित किसी आदेश या पारित होने वाले किसी आदेश, यदि कोई हों, के अध्यधीन होंगे।

[फा0सं0 25/44/2017-ईएसजेड]

डॉ. सतीश चन्द्र गढ़कोटी, वैज्ञानिक 'जी'


उपाबंध- ।

त्रिपरा राज्य में पारिस्थितिकी संवेदी जोन और तृष्णा वन्यजीव अभयारण्य की सीमा का विवरण


	ात्रपुरा राज्य म पारिस्थातका सवदा जान आर तृष्णा वन्यजाव अभयारण्य का सामा का विवरण
उत्तर	पारिस्थितिकी संवेदी जोन के उत्तरी भाग में तृष्णा वन्यजीव अभयारण्य में समूखचेररा एवं गरजी आर.एफ. होते हैं। क्षेत्र में बारहमासी धाराओं और प्राकृतिक वनों के साथ छोटी है।
उत्तर पूर्व	तृष्णा वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिकी संवेदी जोन उत्तरी पूर्वी सीमा चंद्रापुर आर एफ और उदयपुर सिविल उप- संभाग में है। क्षेत्र में बारहमासी धाराओं और प्राकृतिक वनों के साथ अधिक एवं न्यून नम्र तरंगण होती है।
दक्षिण पूर्व	तृष्णा वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिकी संवेदी जोन की दक्षिणी सीमा पूरबा पीपराईखोला एवं काशरी मौजा के गैर- वन भूमि में है। क्षेत्र में प्रचुर जैवविविधता में बारहमासी के साथ अधिक तरंगण है।
दक्षिण	तृष्णा वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिकी संवेदी जोन की दक्षिणी सीमा जगनाथ धीगी आर एफ में है और क्रमश: पूरबा आनंदपुर, दक्षिण कृष्णापुर, दक्षिण कृष्णापुर और पूरबा आनंदपुर में गैर-वन भूमि का भाग विद्यमान है। क्षेत्र में बारहमासी धाराओं और प्राकृतिक वनों के साथ छोटी तरंगित है। यहां क्षेत्र में कई धान खेती विद्यमान है।
दक्षिण पश्चिम	तृष्णा वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिकी संवेदी जोन का दक्षिण पश्चिमी भाग इंडो-बांग्लादेश सीमा तक विस्तृत है।
उत्तर पश्चिम	तृष्णा वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिकी संवेदी जोन का उत्तर पश्चिमी भाग सोनामूरा सिविल उप-संभाग के खेदरबरी, कथालिया एवं दक्षिण ताईबनदई में है और क्रमश: गैर वन भूमि के साथ ही साथ तूलातालीबरी और कोपरचहोला आर.एफ में है। क्षेत्र में बारहमासी धाराओं और प्राकृतिक वनों के साथ नम्र तरंगण है। क्षेत्र में धान खेती आवर्तक विद्यमान है।

उपाबंध- llक मुख्य अवस्थानों के ग्राम बिंदुओं और अक्षांश –देशांतर के साथ पारिस्थितिकी संवेदी जोन और तृष्णा वन्यजीव अभयारण्य का

मानचित्र



उपाबंध- ॥,ख मुख्य अवस्थानों के अक्षांश और देशांतर के साथ तृष्णा वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिकी संवेदी जोन का मानचित्र



उपाबंध-॥

सारणी क: तृष्णा वन्यजीव अभयारण्य के प्रमुख अवस्थानों के भू-निर्देशांक

क्र.सं.	अक्षांश (उ)	देशांतर (पू)
1	ਰ 23⁰16′12.18"	पू91º20'15.16"
2	ਰ 23⁰12'34.25"	पू91º20'29.47"
3	उ 23⁰13′50.81"	पू91º22'08.87"
4	ਤ 23⁰16′31.89"	पू91º24'28.38"
5	ਰ 23⁰21′02.21"	पू91º20'44.14"
6	ਰ 23º23'12.35"	पू91º29'30.21"
7	ਰ 23°24′24.89"	पू91º32'10.62"
8	ਤ 23°25′30.96"	पू91°34'35.07"
9	उ 23º26ˈ11.19"	पू91º21'43.85"
10	उ 23°26′14.95″	पू91°18'56.37"

सारणी ख: पारिस्थितिकी संवेदी जोन के प्रमुख अवस्थानों के भू-निर्देशांक

क्र.सं.	अक्षांश (उ)	देशांतर (पू)
1	ਤ 23°15'53.19"	पू91°18'54.94"
2	ਤ 23°12'15.07"	पू91°20'33.16"
3	ਤ 23°14'01.12"	पू91°22'37.41"
4	ਤ 23°16'29.99"	पू91°25'23.91"
5	ਤ 23°20'32.39"	पू91°29'04.16"
6	ਤ 23°23'03.74"	पू91°30'08.58"
7	ਤ 23°24'03.64"	पू91°32'13.02"
8	ਤ 23°25'30.01"	पू91°35'02.59"
9	ਤ 23°26'19.63"	पू91°21'45.02"
10	ਤ 23°26'24.15"	पू91°18'43.37"

उपाबंध -।∨ भू-निर्देशांकों के साथ तृष्णा वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाले ग्रामों की सूची

क्र.सं.	ग्राम का नाम	अक्षांश (उ)	देशांतर (पू)
1	बरपथरी	उ 23°17'54.34"	पू91º24'27.28"
2	पश्चिम पइखोला	उ 23°20'34.71"	पू91º28'20.35 "
3	राजपुर	उ 23°21'59.52 "	पू91º30'10.79"
4	बइसाबरी	उ 23°26′10.82 "	पू91º34'51.56"
5	गरजी	उ 23°25'34.51"	पू91º30'24.70"
6	महेशपुर	उ 23°21'59.51 "	पू91º19'19.31"
7	कलीकृष्णानगर	उ 23°19'39.89"	पू91°17'55.54"
8	रंगामुरा	उ 23°15′30.66 "	पू91º19'08.06"
9	बतीशा	ਤ 23°12'01.74"	पू91º19'47.16"
10	राजनगर	ਤ 23°17'54.34"	पू91º24'27.28"

उपाबंध ∨

पारिस्थितिकी संवेदी जोन मानीटरी समिति: की गई कार्रवाई की रिपोर्ट का रूप विधान

- 1. बैठकों की संख्या और तारीख।
- 2. बैठकों का कार्यवृत: (कृपया मुख्य उल्लेखनीय बिंदुओं का उल्लेख करें। बैठक के कार्यवृत्त को एक पृथक उपाबंध में संलग्न करें)।
- 3. आंचलिक महायोजना की तैयारी की प्रास्थिति जिसके अंतर्गत पर्यटन महायोजना भी है।
- 4. भू-अभिलेख में सदृश्य त्रुटियों के सुधार के लिए ब्यौहार किए गए मामलों का सारांश (पारिस्थितिकी संवेदी जोन वार)। ब्यौरे उपाबंध के रूप में संलग्न किए जाएं।
- 5. पर्यावरण समाघात निर्धारण अधिसूचना, 2006 के अधीन आने वाले क्रियाकलापों की संवीक्षा के मामलों का सारांश। (ब्यौरे एक पृथक् उपाबंध के रूप में संलग्न किए जाएं)।
- 6. पर्यावरण समाघात निर्धारण अधिसूचना, 2006 के अधीन न आने वाली गतिविधियों की संवीक्षा के मामलों का सारांश। (ब्यौरे एक पृथक् उपाबंध के रूप में संलग्न किए जाएं)।
- 7. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन दर्ज की गई शिकायतों का सारांश ।
- 8. कोई अन्य महत्वपूर्ण विषय ।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE NOTIFICATION

New Delhi the 8th November, 2019

S.O. 4077(E).—WHEREAS, a draft notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, *vide* notification of the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change number S.O. 4776 (E) dated the 10th September, 2018, inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby within the period of sixty days from the date on which copies of the Gazette containing the said notification were made available to the public;

AND WHEREAS, copies of the Gazette containing the said draft notification were made available to the public on the 11th September, 2018;

AND WHEREAS, no objections and suggestions were received from persons and stakeholders in response to the draft notification;

AND WHEREAS, Trishna Wildlife Sanctuary was declared *vide* Government of Tripura Gazette Notification No. F. 8(58)/For-WL/88/Vol-II/39253, dated the 18th November, 1988 with an area of 194.708 square kilometers. The Sanctuary was notified in terms of cadastral survey plots and not in terms of outer boundaries. The core zone has the best forest available in the Sanctuary and is exclusively for the wildlife and would not have to shoulder the burden of meeting the requirements of the people. The total area of the core zone would be about 50 square kilometers, out of which 31.63 square kilometers has been notified as Bison National Park *vide* number F.8 (196)/For-WL/204/NP/V-2/5503, dated the 9th June, 2009 with a sole objective to regulate certain activities and also to minimize the negative impacts of such activities on fragile eco-system encompassing the protected area;

AND WHEREAS, it would be appropriate to include a zone around the Sanctuary subject to the existence of floral and faunal diversity and also realizing the fact that the Sanctuary in surrounded by Indo-Bangla border on three sides and also the existing habitation adjacent to the Sanctuary;

AND WHEREAS, the Trishna Wildlife Sanctuary has morphological importance due to its richness in floral and faunal bio-diversity. The area has a viable population of key species viz, gaur, primates like, hollok gibbon, spectacle monkey in total six species, a large number of fauna which from part of high rainfall forest eco-system of the Sanctuary and are generally endangered either locally or at the level of state or country. Ecological function of the Sanctuary also includes maintaining a healthy soil and water regime, thereby ensuring higher level of production in agriculture and fisheries etc. in this area. The area has high potential for promoting eco-tourism;

AND WHEREAS, the Sanctuary posses a good number of bison population and is the only Sanctuary in the state having such population. Beside this, the Sanctuary also supports six primates species belonging mostly from the scheduled species. The Sanctuary also caters the population of other important species of reptiles and is also the unique place for migratory birds. A research in exploration of flora was conducted by the Botany Department of the Tripura University and as per findings the abstract is there for 400 species. Out of which, 160 species is used as medicinal, 140 species used as timber, 30 species as tannin and dye yielding, 20 species is fruit bearing, 17 species are ornamental and avenue, 15 species used as fodder, 10 species are condiment and spices, Trishna Wildlife Sanctuary also harbor one rare gymnosperm, *Gnetum monatanum*;

AND WHEREAS, the census of wildlife was carried out during 18th February, 2010 to 20th February, 2010. A total of 86 number of major species was recorded which includes barking deer, clouded leopard, jungle cat, pigtailed macaque, spectacle monkey, slow lorries, crab eating mongos, serpent eagle, wood pecker, jungle myna, red vent bulbul, spectacle cobra, grey heron, great egret, fairy blue bird, etc;

AND WHEREAS, it is necessary to conserve and protect the area, the extent and boundaries of Trishna Wildlife Sanctuary which are specified in paragraph 1 as Eco-sensitive Zone from ecological, environmental and biodiversity point of view and to prohibit industries or class of industries and their operations and processes in the said Eco-sensitive Zone:

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clauses (v) and (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act 1986 (29 of 1986) (hereafter in this notification referred to as the Environment Act) read with sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby notifies an area to an extent varying from 0 (zero) to 500 metre around the boundary of Trishna Wildlife Sanctuary, in South Tripura district in the State of Tripura as the Eco-sensitive Zone (hereafter in this notification referred to as the Eco-sensitive Zone) details of which are as under, namely:

- **2. Extent and boundaries of Eco-sensitive Zone.** (1) The Eco-sensitive Zone shall be to an extent of 0 (zero) metre to 500 metre around the boundary of Trishna Wildlife Sanctuary and the area of the Eco-sensitive Zone is 91.83 square kilometres. (*Zero extent of Eco-sensitive Zone is due to Indo-Bangladesh International Border*).
 - (2) The extent and boundary description of Trishna Wildlife Sanctuary and its Eco-sensitive Zone is appended in **Annexure-I.**
 - (3) The maps of the Trishna Wildlife Sanctuary demarcating Eco-sensitive Zone along with boundary details and latitudes and longitudes are appended as **Annexure-IIA** and **Annexure-IIB**.
 - (4) List of geo-coordinates of the boundary of Trishna Wildlife Sanctuary and Eco-sensitive Zone are given in Table **A** and Table **B** of **Annexure-III.**
 - (5) The list of villages falling in the Eco-sensitive Zone along with their geo co-ordinates at prominent points is appended as **Annexure-IV**.
- **2. Zonal Master Plan for Eco-sensitive Zone.-** (1) The State Government shall, for the purposes of the Eco-sensitive Zone prepare a Zonal Master Plan within a period of two years from the date of publication of this notification in the Official Gazette, in consultation with local people and adhering to the stipulations given in this notification for approval of the competent authority of State.
 - (2) The Zonal Master Plan for the Eco-sensitive Zone shall be prepared by the State Government in such manner as is specified in this notification and also in consonance with the relevant Central and State laws and the guidelines issued by the Central Government, if any.
 - (3) The Zonal Master Plan shall be prepared in consultation with the following Departments of the State Government, for integrating the ecological and environmental considerations into the said plan:-
 - (i) Environment;
 - (ii) Forest and Wildlife;
 - (iii) Agriculture;
 - (iv) Revenue;
 - (v) Urban Development;
 - (vi) Tourism;
 - (vii) Rural Development;
 - (viii) Irrigation and Flood Control;
 - (ix) Municipal;
 - (x) Panjayati Raj;
 - (xi) Public Works Department;
 - (xii) Highways; and
 - (xiii) Tripura State Pollution Control Board.
 - (4) The Zonal Master Plan shall not impose any restriction on the approved existing land use, infrastructure and activities, unless so specified in this notification and the Zonal Master Plan shall factor in improvement of all infrastructure and activities to be more efficient and eco-friendly.
 - (5) The Zonal Master Plan shall provide for restoration of denuded areas, conservation of existing water bodies, management of catchment areas, watershed management, groundwater management, soil and moisture conservation, needs of local community and such other aspects of the ecology and environment that need attention.
 - (6) The Zonal Master Plan shall demarcate all the existing worshipping places, villages and urban settlements, types and kinds of forests, agricultural areas, fertile lands, green area, such as, parks and like places, horticultural areas, orchards, lakes and other water bodies and also with supporting maps giving details of existing and proposed land use features.
 - (7) The Zonal Master Plan shall regulate development in Eco-sensitive Zone and adhere to prohibited, regulated activities listed in the Table in paragraph 4 and also ensure and promote eco-friendly development for security of local communities' livelihood.
 - (8) The Zonal Master Plan shall be co-terminus with the Regional Development Plan.
 - (9) The Zonal Master Plan so approved shall be the reference document for the Monitoring Committee for carrying out its functions of monitoring in accordance with the provisions of this notification.

- 3. Measures to be taken by the State Government.- The State Government shall take the following measures for giving effect to the provisions of this notification, namely:-
 - (1) Land use.— (a) Forests, horticulture areas, agricultural areas, parks and open spaces earmarked for recreational purposes in the Eco-sensitive Zone shall not be used or converted into areas for commercial or residential or industrial activities:

Provided that the conversion of agricultural and other lands, for the purposes other than that specified at part (a), within the Eco-sensitive Zone may be permitted on the recommendation of the Monitoring Committee, and with the prior approval of the competent authority under Regional Town Planning Act and other rules and regulations of Central Government or State Government as applicable and *vide* provisions of this Notification, to meet the residential needs of the local residents such as:-

- (i) widening and strengthening of existing roads and construction of new roads;
- (ii) construction and renovation of infrastructure and civic amenities;
- (iii) small scale industries not causing pollution;
- (iv) cottage industries including village industries; convenience stores and local amenities supporting ecotourism including home stay; and
- (v) promoted activities given under paragraph 4:

Provided further that no use of tribal land shall be permitted for commercial and industrial development activities without the prior approval of the competent authority under Regional Town Planning Act and other rules and regulations of the State Government and without compliance of the provisions of article 244 of the Constitution or the law for the time being in force, including the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (2 of 2007):

Provided also that any error appearing in the land records within the Eco-sensitive Zone shall be corrected by the State Government, after obtaining the views of Monitoring Committee, once in each case and the correction of said error shall be intimated to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change:

Provided also that the correction of error shall not include change of land use in any case except as provided under this sub-paragraph.

- (b) Efforts shall be made to reforest the unused or unproductive agricultural areas with afforestation and habitat restoration activities.
- (2) Natural water bodies.-The catchment areas of all natural springs shall be identified and plans for their conservation and rejuvenation shall be incorporated in the Zonal Master Plan and the guidelines shall be drawn up by the State Government in such a manner as to prohibit development activities at or near these areas which are detrimental to such areas.
- (3) **Tourism or Eco-tourism.-** (a) All new eco-tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-sensitive Zone shall be as per the Tourism Master Plan for the Eco-sensitive Zone.
 - (b) The Eco-Tourism Master Plan shall be prepared by the State Department of Tourism in consultation with State Departments of Environment and Forests.
 - (c) The Tourism Master Plan shall form a component of the Zonal Master Plan.
 - (d) The Tourism Master Plan shall be drawn based on the study of carrying capacity of the Eco-sensitive Zone.
 - (e) The activities of eco-tourism shall be regulated as under, namely:-
 - (i) new construction of hotels and resorts shall not be allowed within one kilometre from the boundary of the protected area or upto the extent of the Eco-sensitive Zone whichever is nearer:

Provided that beyond the distance of one kilometre from the boundary of the protected area till the extent of the Eco-sensitive Zone, the establishment of new hotels and resorts shall be allowed only in pre-defined and designated areas for Eco-tourism facilities as per Tourism Master Plan;

- (ii) all new tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the guidelines issued by the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change and the eco-tourism guidelines issued by National Tiger Conservation Authority (as amended from time to time) with emphasis on eco-tourism, eco-education and eco-development;
- (iii) until the Zonal Master Plan is approved, development for tourism and expansion of existing tourism activities shall be permitted by the concerned regulatory authorities based on the actual site specific scrutiny and recommendation of the Monitoring Committee and no new hotel/resort or commercial establishment construction shall be permitted within Eco-sensitive Zone area.
- (4) Natural heritage.- All sites of valuable natural heritage in the Eco-sensitive Zone, such as the gene pool reserve areas, rock formations, waterfalls, springs, gorges, groves, caves, points, walks, rides, cliffs, etc. shall be identified and a heritage conservation plan shall be drawn up for their preservation and conservation as a part of the Zonal Master Plan.
- (5) Man-made heritage sites.- Buildings, structures, artefacts, areas and precincts of historical, architectural, aesthetic, and cultural significance shall be identified in the Eco-sensitive Zone and heritage conservation plan for their conservation shall be prepared as part of the Zonal Master Plan.
- (6) Noise pollution. Prevention and control of noise pollution in the Eco-sensitive Zone shall be complied in accordance with the provisions of the Noise Pollution (Regulation and Control) Rules, 2000 under the Environment Act.
- (7) Air pollution.- Prevention and control of air pollution in the Eco-sensitive Zone shall be compiled in accordance with the provisions of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (14 of 1981) and the rules made thereunder.
- (8) **Discharge of effluents.-** Discharge of treated effluent in Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the provisions of the General Standards for Discharge of Environmental Pollutants covered under the Environment Act and the rules made thereunder or standards stipulated by State Government whichever is more stringent.
- (9) Solid wastes.- Disposal and Management of solid wastes shall be as under:-
 - (a) the solid waste disposal and management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the Solid Waste Management Rules, 2016, published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* notification number S.O. 1357 (E), dated the 8th April, 2016; the inorganic material may be disposed in an environmental acceptable manner at site identified outside the Eco-sensitive Zone;
 - (b) safe and Environmentally Sound Management of Solid wastes in conformity with the existing rules and regulations using identified technologies may be allowed within Eco-sensitive Zone.
- (10) Bio-Medical Waste. Bio Medical Waste Management shall be as under:-
 - (a) the Bio-Medical Waste disposal in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the Bio-Medical Waste Management, Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* notification number G.S.R 343 (E), dated the 28th March, 2016.
 - (b) safe and Environmentally Sound Management of Bio-Medical Wastes in conformity with the existing rules and regulations using identified technologies may be allowed within the Eco-sensitive Zone.
- (11) Plastic Waste Management.- The Plastic Waste Management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Plastic Waste Management Rules, 2016, published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* notification number G.S.R. 340(E), dated the 18th March, 2016, as amended from time to time.
- (12) Construction and Demolition Waste Management.- The Construction and Demolition Waste Management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Construction and Demolition Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* notification number G.S.R. 317(E), dated the 29th March, 2016, as amended from time to time.

- (13) E-waste. The E-waste management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the E-Waste Management Rules, 2016, published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change and as amended from time to time.
- (14) Vehicular Traffic.— The vehicular movement of traffic shall be regulated in a habitat friendly manner and specific provisions in this regard shall be incorporated in the Zonal Master Plan and till such time as the Zonal Master plan is prepared and approved by the Competent Authority in the State Government, the Monitoring Committee shall monitor compliance of vehicular movement under the relevant Acts and the rules and regulations made thereunder.
- (15) Vehicular Pollution.- Prevention and control of vehicular pollution shall be incompliance with applicable laws and efforts shall be made for use of cleaner fuels.
- (16) Industrial units.— (i) On or after the publication of this notification in the Official Gazette, no new polluting industries shall be permitted to be set up within the Eco-sensitive Zone.
 - (ii) Only non-polluting industries shall be allowed within Eco-sensitive Zone as per the classification of Industries in the guidelines issued by the Central Pollution Control Board in February, 2016, unless so specified in this notification, and in addition, the non-polluting cottage industries shall be promoted.
- (17) Protection of hill slopes.- The protection of hill slopes shall be as under:-
 - (a) the Zonal Master Plan shall indicate areas on hill slopes where no construction shall be permitted;
 - (b) construction shall not be permitted on existing steep hill slopes or slopes with a high degree of erosion.
- 4. List of activities prohibited or to be regulated within Eco-sensitive Zone. All activities in the Eco sensitive Zone shall be governed by the provisions of the Environment Act and the rules made thereunder including the Coastal Regulation Zone, 2011 and the Environmental Impact Assessment Notification, 2006 and other applicable laws including the Forest (Conservation) Act, 1980 (69 of 1980), the Indian Forest Act, 1927 (16 of 1927), the Wildlife (Protection) Act, 1972 (53 of 1972), and amendments made thereto and be regulated in the manner specified in the Table below, namely:-

TABLE

S. No. (1)	Activity (2)	Description (3)
	A. Pı	ohibited Activities
1.	Commercial mining, stone quarrying and crushing units.	(a) All new and existing mining (minor and major minerals), stone quarrying and crushing units are prohibited with immediate effect except for meeting the domestic needs of bona fide local residents including digging of earth for construction or repair of houses and for manufacture of country tiles or bricks for housing and for personal consumption;
		(b) The mining operations shall be carried out in accordance with the order of the Hon'ble Supreme Court dated the 4 th August, 2006 in the matter of T.N. Godavarman Thirumulpad Vs. UOI in W.P.(C) No.202 of 1995 and dated 21 st April, 2014 in the matter of Goa Foundation Vs. UOI in W.P.(C) No.435 of 2012.
2.	Setting up of new saw mills.	New or expansion of existing saw mills shall not be permitted within the Eco-sensitive Zone.
3.	Setting of industries causing pollution (Water, Air, Soil, Noise, etc.).	New industries and expansion of existing polluting industries in the Eco-sensitive Zone shall not be permitted: Provided that non-polluting industries shall be allowed

S. No. (1)	Activity (2)	Description (3)
(-)		within Eco-sensitive Zone as per classification of Industries in the guidelines issued by the Central Pollution Control Board in February, 2016, unless so specified in this notification and in addition the non-polluting cottage industries shall be promoted.
4.	Establishment of major hydro-electric project.	Prohibited (except as otherwise provided) as per the applicable laws.
5.	Use or production or processing of any hazardous substances.	Prohibited (except as otherwise provided) as per the applicable laws.
6.	Discharge of untreated effluents in natural water bodies or land area.	Prohibited (except as otherwise provided) as per the applicable laws.
7.	Setting up of brick kilns.	Prohibited (except as otherwise provided) as per the applicable laws.
	B. Regu	llated Activities
8.	Commercial establishment of hotels and resorts.	No new commercial hotels and resorts shall be permitted within one kilometer of the boundary of the protected area or upto the extent of Eco-sensitive Zone, whichever is nearer, except for small temporary structures for eco-tourism activities:
		Provided that, beyond one kilometer from the boundary of the protected area or upto the extent of Eco-sensitive Zone whichever is nearer, all new tourist activities or expansion of existing activities shall be in conformity with the Tourism Master Plan and guidelines as applicable.
9.	Construction activities.	(a) New commercial construction of any kind shall not be permitted within one kilometer from the boundary of the protected area or upto extent of the Eco-sensitive Zone, whichever is nearer:
		Provided that, local people shall be permitted to undertake construction in their land for their use including the activities mentioned in sub-paragraph (1) of paragraph 3 as per building bye-laws to meet the residential needs of the local residents:
		Provided further that the construction activity related to small scale industries not causing pollution shall be regulated and kept at the minimum, with the prior permission from the competent authority as per applicable rules and regulations, if any.
		(b) Beyond one kilometer it shall be regulated as per the Zonal Master Plan.
10.	Felling of trees.	(a) There shall be no felling of trees in the forest or Government or revenue or private lands without prior permission of the competent authority in the State Government.
		(b) The felling of trees shall be regulated in accordance with the provisions of the concerned Central or State Act and the rules made thereunder.
11.	Discharge of treated waste water or effluents in natural water bodies or land area.	The discharge of treated waste water or effluents shall be avoided to enter into the water bodies and efforts shall be made for recycle and reuse of treated waste water. Otherwise the discharge of treated waste water or effluent shall be regulated

S. No.	Activity	Description	
(1)	(2)	as per the applicable laws.	
12.	Commercial use of firewood.	Regulated as per the applicable law.	
13.	Drastic change of agriculture systems.	Regulated under applicable law.	
14.	Introduction of exotic species.	Regulated as per the applicable laws.	
15.	Commercial extraction of surface and ground water.	Regulated as per the applicable laws.	
16.	Erection of electrical and communication towers and laying of cables and other infrastructures.	Regulated under applicable laws. Underground cabling may be promoted.	
17.	Fencing of premises of hotels and lodges.	Regulated under applicable laws.	
18.	Use of polythene bags.	Regulated as per the applicable laws.	
19.	Widening and strengthening of existing roads and construction of new roads.	Taking measures of mitigation as per the applicable laws, rules and regulation and available guidelines.	
20.	Protection of hill slopes and river banks.	Regulated as per the applicable laws.	
21.	Commercial sign boards and hoardings.	Regulated as per the applicable laws.	
22.	Small scale non polluting industries.	Non polluting industries as per classification of industries issued by the Central Pollution Control Board in February, 2016 and non-hazardous, small-scale and service industry, agriculture, floriculture, horticulture or agro-based industry producing products from indigenous materials from the Ecosensitive Zone shall be permitted by the competent authority.	
23.	Collection of Forest produce or Non-Timber Forest produce.	Regulated as per the applicable laws.	
24.	Infrastructure including civic amenities.	Taking measures of mitigation as per the applicable laws, rules and regulations and available guidelines.	
25.	Movement of vehicular traffic at night.	Regulated for commercial purpose under applicable laws.	
26.	Ongoing agriculture and horticulture practices by local communities along with dairies, dairy farming, aquaculture and fisheries.	Permitted as per the applicable laws for use of locals.	
27.	Establishment of large-scale commercial livestock and poultry farms by firms, corporate and companies.	Regulated (except as otherwise provided) as per the applicable laws except for meeting local needs.	
28.	Solid waste management.	Regulated as per the applicable laws.	
29.	Eco-tourism.	Regulated as per the applicable laws.	
30.	Air and vehicular pollution.	Regulated as per the applicable laws.	
31.	Undertaking other activities related to tourism like flying over the Ecosensitive Zone area by hot air balloon, helicopter, drones, Microlites, etc.	Regulated as per the applicable laws.	
	C. Promoted Activities		
32.	Rain water harvesting.	Shall be actively promoted.	
33.	Organic farming.	Shall be actively promoted.	

S. No. (1)	Activity (2)	Description (3)
34.	Use of renewable energy and fuels.	Bio-gas, solar light, etc. shall be actively promoted.
35.	Adoption of green technology for all activities.	Shall be actively promoted.
36.	Cottage industries including village artisans, etc.	Shall be actively promoted.
37.	Agro-Forestry.	Shall be actively promoted.
38.	Plantation of Horticulture and Herbals.	Shall be actively promoted.
39.	Use of eco-friendly transport.	Shall be actively promoted.
40.	Skill Development.	Shall be actively promoted.
41.	Restoration of degraded land/ forests/ habitat.	Shall be actively promoted.
42.	Environmental awareness.	Shall be actively promoted.

5. Monitoring Committee for Monitoring the Eco-sensitive Zone Notification.- For effective monitoring of the provisions of this notification under sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986, the Central Government hereby constitutes a Monitoring Committee, comprising of the following, namely:-

S. No.	Constituent of the Monitoring Committee	Designation
(i)	Hon'ble Sabhapati, Dakhsin Tripura Zilla Parisad, Udaipur	Chairman, ex officio
(ii)	A representative of non-government organization working in the field of wildlife conservation to be nominated by the State Government	Member;
(iii)	An expert in Biodiversity nominated by the State Government	Member;
(iv)	An expert in Ecology and Environment to be nominated by the State Government	Member;
(v)	A representative from State Public Works Department	Member;
(vi)	A representative from State Pollution Control Board	Member;
(vii)	Wildlife Warden, Trishna Wildlife Sanctuary	Member-Secretary.

- **6. Terms of Reference.** (1) The Monitoring Committee shall monitor the compliance of the provisions of this notification.
 - (2) The tenure of the Monitoring committee shall be for three years or till the re-constitution of the new Committee by the State Government and subsequently the Monitoring Committee shall be constituted by the State Government.
 - (3) The activities that are covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006, and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change for prior environmental clearances under the provisions of the said notification.
 - (4) The activities that are not covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forest number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006 and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the concerned regulatory authorities.

- (5) The Member-Secretary of the Monitoring Committee or the concerned Deputy Commissioner(s) shall be competent to file complaints under section 19 of the Environment Act, against any person who contravenes the provisions of this notification.
- (6) The Monitoring Committee may invite representatives or experts from concerned Departments, representatives from industry associations or concerned stakeholders to assist in its deliberations depending on the requirements on issue to issue basis.
- (7) The Monitoring Committee shall submit the annual action taken report of its activities as on the 31st March of every year by the 30th June of that year to the Chief Wildlife Warden in the State as per proforma appended at **Annexure V**.
- (8) The Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change may give such directions, as it deems fit, to the Monitoring Committee for effective discharge of its functions.
- 7. The Central Government and State Government may specify additional measures, if any, for giving effect to provisions of this notification.
- **8.** The provisions of this notification shall be subject to the orders, if any passed or to be passed by the Hon'ble Supreme Court of India or the High Court or the National Green Tribunal.


[F. No. 25/44/2017-ESZ]

DR SATISH C. GARKOTI, Scientist 'G


ANNEXURE- I BOUNDARY DESCRIPTION OF TRISHNA WILDLIFE SANCTUARY AND ITS ECO-SENSITIVE ZONE IN THE STATE TRIPURA

North	Northern side of proposal Eco-sensitive Zone of Trishna Wildlife Sanctuary consists of Samukhcherra			
	and Garjee Reserve Forest. The area is little undulating with perennial streams and natural forests.			
North East	North Eastern boundary of proposed Eco-Sensitive Zone of the Trishna Wildlife Sanctuary consists of			
	Chandrapur Reserve Forest of Udaipur Civil Sub-Division. The area is more or less having gentle			
	undulation with perennial streams and natural forests.			
South East	South Eastern boundary of proposed Eco-Sensitive Zone of the Trishna Wildlife Sanctuary consists of			
	Purba Pipariakhola and Kashari Mouja of non-forest land. The area is having more undulation with			
	perennial streams and rich in biodiversity.			
South	Southern boundary of proposed Eco-Sensitive Zone of the Trishna Wildlife Sanctuary consists of			
	Jaganath Dhigi Reserve Forest and falls under Purba Anandapur, Dakshin Krishnapur & Radhanagar			
	mouja respectively. A portion of non forest land also exists in Uttar Krishnapur, Dakshin Krishnapur and			
	Purba Anandapur. The area is little undulating with perennial streams and natural forests. There are many			
	paddy fields existing in the area.			
South West	South Western side of proposed Eco-sensitive Zone of the Trishna Wildlife Sanctuary extended up t			
	Indo-Bangladesh Border.			
North West	North Western side of proposed Eco-sensitive Zone of the Trishna Wildlife Sanctuary consist			
	Khedarbari, Kathalia & Dakshin Taibandai of Sonamura Civil Sub-Division and consists of Tulatalibari			
	and Koparchahola Reserve Forest as well as non forest land respectively. The area is having gentle			
	undulation with perennial streams and natural forests. Paddy fields intermittently exist in the area.			

ANNEXURE- IIA MAP OF TRISHNA WILDLIFE SANCTUARY AND ITS ECO-SENSITIVE ZONE ALONG WITH VILLAGES POINT AND LATITUDE - LONGITUDE OF PROMINENT LOCATIONS



ANNEXURE- IIB
MAP OF ECO-SENSITIVE ZONE OF TRISHNA WILDLIFE SANCTUARY ALONG WITH LATITUDE AND
LONGITUDE OF PROMINENT LOCATIONS



ANNEXURE-III TABLE A: GEO- COORDINATES OF PROMINENT LOCATIONS OF TRISHNA WILDLIFE SANCTUARY

S. No.	Latitude (N)	Longitude (E)
1	N 23 ⁰ 16'12.18"	E 91°20′15.16"
2	N 23 ⁰ 12'34.25"	E 91°20′29.47"
3	N 23 ⁰ 13'50.81"	E 91 ⁰ 22'08.87"
4	N 23 ⁰ 16'31.89"	E 91 ⁰ 24'28.38"
5	N 23 ⁰ 21'02.21"	E 91 ⁰ 20'44.14"
6	N 23 ⁰ 23'12.35"	E 91°29'30.21"
7	N 23 ⁰ 24'24.89"	E 91 ⁰ 32'10.62"
8	N 23 ⁰ 25'30.96"	E 91 ⁰ 34'35.07"
9	N 23 ⁰ 26'11.19"	E 91 ⁰ 21'43.85"
10	N 23 ⁰ 26'14.95"	E 91 ⁰ 18'56.37"

TABLE B: GEO-COORDINATES OF PROMINENT LOCATIONS OF ECO-SENSITIVE ZONE

S. No.	Latitude (N)	Longitude (E)
1	N 23 ⁰ 15'53.19"	E 91 ⁰ 18'54.94"
2	N 23 ⁰ 12'15.07"	E 91º20'33.16"
3	N 23 ⁰ 14′01.12"	E 91º22'37.41"
4	N 23 ⁰ 16'29.99"	E 91 ⁰ 25'23.91"
5	N 23 ⁰ 20'32.39"	E 91 ⁰ 29'04.16"
6	N 23 ⁰ 23'03.74"	E 91 ⁰ 30'08.58"
7	N 23 ⁰ 24'03.64"	E 91 ⁰ 32'13.02"
8	N 23 ⁰ 25'30.01"	E 91 ⁰ 35'02.59"
9	N 23 ⁰ 26'19.63"	E 91º21'45.02"
10	N 23 ⁰ 26'24.15"	E 91 ⁰ 18'43.37"

ANNEXURE-IV

LIST OF VILLAGES COMING UNDER ECO-SENSITIVE ZONE OF TRISHNA WILDLIFE SANCTUARY ALONG WITH GEO-COORDINATES

S. No.	Village Name	Latitude (N)	Longitude (E)
1	Barpathari	N 23 ⁰ 17'54.34"	E 91°24'27.28"
2	West Paikhola	N 23 ⁰ 20'34.71"	E 91°28'20.35"
3	Rajapur	N 23 ⁰ 21'59.52"	E 91°30'10.79"
4	Baishabari	N 23°26'10.82"	E 91°34'51.56"
5	Garjee	N 23 ⁰ 25'34.51"	E 91°30'24.70"
6	Maheshpur	N 23 ⁰ 21'59.51"	E 91º19'19.31"
7	Kalikrishnanagar	N 23 ⁰ 19'39.89"	E 91°17'55.54"
8	Rangamura	N 23 ⁰ 15'30.66"	E 91º19'08.06"
9	Batisha	N 23 ⁰ 12'01.74"	E 91º19'47.16"
10	Rajnagar	N 23 ⁰ 17'54.34"	E 91 ⁰ 24'27.28"

ANNEXURE -V

Proforma of Action Taken Report:- Eco-sensitive Zone Monitoring Committee.

- 1. Number and date of meetings.
- 2. Minutes of the meetings: (mention noteworthy points. Attach minutes of the meeting as separate Annexure).
- 3. Status of preparation of Zonal Master Plan including Tourism Master Plan.
- 4. Summary of cases dealt with rectification of error apparent on face of land record (Eco-sensitive Zone wise). Details may be attached as Annexure.
- 5. Summary of cases scrutinised for activities covered under the Environment Impact Assessment Notification, 2006 (Details may be attached as separate Annexure).
- 6. Summary of cases scrutinised for activities not covered under the Environment Impact Assessment Notification, 2006 (Details may be attached as separate Annexure).
- 7. Summary of complaints lodged under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986.
- 8. Any other matter of importance.